WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012022-232576
CG-DL-E-11012022-232576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943
No. 15] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/175/17/डीडी/159/टीएएमसी/आईएनएफ/17/डीसी/1163/19 : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. दीपक केडिया (सदस्यता संख्या 029842), नं. 23, तीसरी मंजिल, महाराजा बिल्डिंग, शांतप्पा लेन बंगलुरु 560 002** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उन पर ऐसे प्रत्येक मामले, जिसमें उसने दिशानिर्देशों में अनुबंधित संख्या से अधिक संख्या में संपरीक्षा का संचालन किया है, 1,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है, जिसका कुल योग केवल 4,72,000/- (चार लाख बहतर हजार रुपए) है, जिसका संदाय उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3(तीन)मास के भीतर किया जाना था । अनुशासन समिति ने यह और आदेश किया कि यदि प्रत्यर्थी **सीए. दीपक केडिया (सदस्यता संख्या 029842)** अनुबंधित समय, अर्थात् 3(तीन) मास के भीतर जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहता है तो उसके नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाना चाहिए । चूंकि प्रत्यर्थी यथा अनुबंधित अधिरोपित जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहा है, इसलिए अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम,

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **सीए. दीपक केडिया (सदस्यता संख्या 029842) का नाम, 11 जनवरी, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./570/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/175/17/DD/159/TAMC/INF/17/DC/1163/19: In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Deepak Kedia (Membership No. 029842), No. 23, 3rd Floor, Maharaja Building, Shantappa Lane, BENGALURU 560 002,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for imposing a fine of Rs. 1000/- for each case of audit conducted in excess of the number stipulated in the Guidelines which aggregates to Rs. 4,72,000/- (Rupees Four Lakhs Seventy Two Thousand only) which was payable within 3 months from the date of receipt of the said order. The Disciplinary Committee further ordered that if the Respondent, **CA. Deepak Kedia (Membership No. 029842),** fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 3 months, his name should be removed from the Register of Members for a period of 01(One) month. Since, the Respondent has failed to deposit the imposed fine as stipulated, in pursuance of the aforesaid order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Deepak Kedia (Membership No. 029842), shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 11th January, 2022.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./570/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.11 22:17:46 +05'30'

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012022-232560
CG-DL-E-11012022-232560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943
No. 16] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/160/17/डीडी/144/टीएएमसी/आईएनएफ/17/डीसी/1191/19.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. श्रीनिवास जी (सदस्यता संख्या 203397), नं. 10, द्वारका माई डीआरडीओ, दूसरा फेज़, दूसरा क्रॉस, आदित्य एन्क्लेव के सामने, बंगलुरु 560016** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उन पर ऐसे प्रत्येक मामले, जिसमें उसने दिशानिर्देशों में अनुबंधित संख्या से अधिक संख्या में संपरीक्षा का संचालन किया है, 1,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है, जिसका कुल योग केवल 5,00,000/- (पांच लाख रुपए) है, जिसका संदाय उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3 (तीन) मास के भीतर किया जाना था । अनुशासन समिति ने यह और आदेश किया कि यदि प्रत्यर्थी **सीए. श्रीनिवास जी (सदस्यता संख्या 203397)** अनुबंधित समय, अर्थात् 3(तीन) मास के भीतर जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहता है तो उसके नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाना चाहिए । चूंकि प्रत्यर्थी यथा अनुबंधित अधिरोपित जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहा है, इसलिए अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **सीए. श्रीनिवास जी (सदस्यता संख्या 203397) का नाम, 11 जनवरी, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./571/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/160/17/DD/144/TAMC/INF/17/DC/1191/19.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Sreenivasa G (Membership No. 203397), No. 10, Dwaraka Mayee DRDO, 2nd Phase, 2nd Cross, Opposite Aditya Enclaves, BENGALURU 560 016,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently, ordered for imposing a fine of Rs. 1000/- for each case of audit conducted in excess of the number stipulated in the Guidelines not exceeding Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakhs only) in aggregate, which was payable within 3 months from the date of receipt of the said order. The Disciplinary Committee further ordered that if the Respondent, **CA. Sreenivasa G (Membership No. 203397),** fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 3 (three) months, his name should be removed from the Register of Members for a period of 01(One) month. Since, the Respondent has failed to deposit the imposed fine as stipulated, therefore in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Sreenivasa G (Membership No. 203397) shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 11th January, 2022.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./571/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.11 21:20:50 +05'30'

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012022-232559
CG-DL-E-11012022-232559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943
No. 17] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/325/13-डीडी/44/14-डीसी/620/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. वेंकट नारायण वेदांतम (सदस्यता संख्या 211377), 46-23-7, श्री रामदास सहकारी प्रशिक्षण संस्थान के पास, गांधी पुरम 2, राजमहेंद्रवरम 533 103** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (2), (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त **सीए. वेंकट नारायण वेदांतम (सदस्यता संख्या 211377)** के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अत: अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **सीए. वेंकट नारायण वेदांतम (सदस्यता संख्या 211377) का नाम, 11 जनवरी, 2022 से 04 (चार) मास [03 (तीन) मास और अतिरिक्त 01 (एक) मास] की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./572/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR/325/13-DD/44/14-DC/620/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Venkat Narayan Vedantam (Membership No. 211377), 46-23-7, Near Sri Ramdas Co-operative Training Institute, Gandhi Puram 2, RAJAMAHENDRAVARAM 533 103,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (2),(7) & (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Venkat Narayan Vedantam (Membership No. 211377),** from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a fine of Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand only) to be paid within 3(three)months and in case of default in payment of fine within stipulated time his name be removed for additional 1(one) month period. Since the Respondent failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Venkat Narayan Vedantam (Membership No. 211377), shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 4 (Four) months [03 (three) months plus additional 1 (one) month] with effect from 11th January, 2022.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./572/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.11 21:22:20 +05'30'

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012022-232557
CG-DL-E-11012022-232557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943
No. 12] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/314/17/डीडी/298/टीएएमसी/आईएनएफ/17/डीसी/1010/19.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. कमलय कृष्णा राव (सदस्यता संख्या 025750), सं. 935, 7वां मेन राघवेन्द्र ब्लॉक, श्रीनगर, बंगलूरु 560 050** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उन पर ऐसे प्रत्येक मामले, जिसमें उसने दिशानिर्देशों में अनुबंधित संख्या से अधिक संख्या में संपरीक्षा का संचालन किया है, 1,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है, जिसका कुल योग 4,26,000/- रुपए (केवल चार लाख छब्बीस हजार रुपए) है, जिसका संदाय उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3(तीन) मास के भीतर किया जाना था। अनुशासन समिति ने यह और आदेश किया कि यदि प्रत्यर्थी **सीए. कमलय कृष्णा राव (सदस्यता संख्या 025750)** अनुबंधित समय, अर्थात् 3(तीन) मास के भीतर जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहता है तो उसके नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाना चाहिए। चूंकि प्रत्यर्थी यथा अनुबंधित अधिरोपित जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहा है, इसलिए अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **सीए. कमलय कृष्णा राव (सदस्यता संख्या 025750) का नाम, 11 जनवरी, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./567/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/314/17/DD/298/TAMC/INF/17/DC/1010/19.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Kamalay Krishna Rao (Membership No. 025750), No. 935, 7th Main Raghavendra Block, Srinagar, BENGALURU 560 050,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for imposing a fine of Rs. 1000/- for each case of audit conducted in excess of the number stipulated in the Guidelines which aggregated to Rs. 4,26,000/- (Rupees Four Lakhs Twenty Six Thousand only) which was payable within 3(three) months from the date of receipt of the said order. The Disciplinary Committee further ordered that if the Respondent, **CA. Kamalay Krishna Rao (Membership No. 025750),** fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 3(three) months, his name be removed from the Register of Members for a period of 01(One) month. Since, the Respondent has failed to deposit the imposed fine as stipulated, therefore, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Kamalay Krishna Rao (Membership No. 025750), shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 11th January, 2022.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./567/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.11 21:03:39 +05'30'

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012022-232556
CG-DL-E-11012022-232556

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943
No. 14] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/331/17/डीडी/315/टीएएमसी/आईएनएफ/17/डीसी/1065/19.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. द्वारकानाथ आर टी (सदस्यता संख्या 024475), सं. 1362/1, 4 मेन, कविता जैन रोड, गिरिनगर, पहला फेज, बंगलूरु 560 085** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उन पर ऐसे प्रत्येक मामले, जिसमें उसने दिशानिर्देशों में अनुबंधित संख्या से अधिक संख्या में संपरीक्षा का संचालन किया है, 1,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है, जिसका कुल योग केवल 3,51,000/- (तीन लाख इक्यावन हजार रुपए) है, जिसका संदाय उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3 (तीन) मास के भीतर किया जाना था। अनुशासन समिति ने यह और आदेश किया कि यदि प्रत्यर्थी **सीए. द्वारकानाथ आर टी (सदस्यता संख्या 024475)** अनुबंधित समय, अर्थात् 3 (तीन) मास के भीतर जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहता है तो उसके नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाना चाहिए । चूंकि प्रत्यर्थी यथा अनुबंधित अधिरोपित जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहा है, इसलिए अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **सीए. द्वारकानाथ आर टी (सदस्यता संख्या 024475) का नाम, 11 जनवरी, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./569/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/331/17/DD/315/TAMC/INF/17/DC/1065/19.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Dwarkanath R T (Membership No. 024475), No. 1362/1, 4th Main, Kavita Jain Road, Girinagar, 1st Phase, BENGALURU 560 085,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for imposing a fine of Rs. 1000/- for each case of audit conducted in excess of the number stipulated in the Guidelines which aggregated to Rs. 3,51,000/- (Rupees Three Lakhs Fifty One Thousand) only which was payable within 3 (three) months from the date of receipt of the said order. The Disciplinary Committee further ordered that if the Respondent, **CA. Dwarkanath R T (Membership No. 024475),** fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 3 (three) months, his name be removed from the Register of Members for a period of 01 (One) month. Since, the Respondent has failed to deposit the imposed fine as stipulated, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Dwarkanath R T (Membership No. 024475), shall stand removed from the Register of Members for a period of 01 (One) month with effect from 11th January, 2022.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./569/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.11 21:01:55 +05'30'

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012022-232555
CG-DL-E-11012022-232555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943
No. 13] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/163/17/डीडी/147/टीएएमसी/आईएनएफ/17/डीसी/1042/19.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. कांतिपुडी वी वी रमेशबाबू (सदस्यता संख्या 213786), फ्लैट नंबर 201, वेस्ट विंग, एसवीएसएस निवास, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, स्ट्रीट नंबर 1, चेक कॉलोनी, हैदराबाद 500 018** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उन पर ऐसे प्रत्येक मामले, जिसमें उसने दिशानिर्देशों में अनुबंधित संख्या से अधिक संख्या में संपरीक्षा का संचालन किया है, 1,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है, जिसका कुल योग केवल 3,73,000/- (तीन लाख तिहतर हजार रुपए) है, जिसका संदाय उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से 03(तीन) मास के भीतर किया जाना था । अनुशासन समिति ने यह और आदेश किया कि यदि प्रत्यर्थी **सीए. कांतिपुडी वी वी रमेशबाबू (सदस्यता संख्या 213786)** अनुबंधित समय, अर्थात् 03(तीन) मास के भीतर जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहता है तो उसके नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाना चाहिए । चूंकि प्रत्यर्थी यथा अनुबंधित अधिरोपित जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहा है, इसलिए अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **सीए. कांतिपुडी वी वी रमेशबाबू (सदस्यता संख्या 213786) का नाम, 11 जनवरी, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./568/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/163/17/DD/147/TAMC/INF/17/DC/1042/19.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Kantipudi V V Rameshbabu (Membership No. 213786), Flat No. 201, West Wing, SVSS Nivas, Above Kotak Mahindra Bank, Street No. 1, Czech Colony, HYDERABAD 500 018,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for imposing a fine of Rs. 1000/- for each case of audit conducted in excess of the number stipulated in the Guidelines which aggregates to Rs. 3,73,000/- (Rupees Three Lakhs Seventy Three Thousand) only which was payable within 3(three) months from the date of receipt of the said order. The Disciplinary Committee further ordered that if the Respondent, **CA. Kantipudi V V Rameshbabu (Membership No. 213786),** fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 3(three) months, his name be removed from the Register of Members for a period of 01(One) month. Since, the Respondent has failed to deposit the imposed fine as stipulated, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Kantipudi V V Rameshbabu (Membership No. 213786), shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 11th January, 2022.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./568/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.11 20:57:14 +05'30'